

supply in the entire Uttar Pradesh in general and in the eastern districts of the State in particular;

(b) the action taken by Government in this regard; and

(c) whether the supply position is satisfactory at present?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Against an allocation of 4,37,600 tonnes of cement made for the quarter April-June, 1980, a quantity of 3,84,205 tonnes of cement was despatched to the State of Uttar Pradesh upto 15-6-1980.

सीमा सुरक्षा बल के सहायक उप निरीक्षकों (आपरटेरों) को विशेष वेतन

4395. श्री बोलत राम शारण : क्या गृह मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 के नये वेतनमान के अनुसार सीमा सुरक्षा बल के सहायक उप-निरीक्षक (आपरटेरों) को विशेष वेतन दिया गया था लेकिन रेडियो मैकेनिक सहायक उप-निरीक्षकों को नहीं दिया गया;

(ख) क्या सहायक उप-निरीक्षक आपरेटरो को विशेष वेतन 1974 से 1976 तक दिया गया था लेकिन उसके बाद बन्द कर दिया गया और विशेष वेतन के रूप में उन्हें दी गई राशि उनसे वापस ली गई और क्या जिन रेडियो मैकेनिक सहायक उप-निरीक्षक को पहले विशेष वेतन नहीं दिया गया था उन्हें यह विशेष वेतन मिलने लगा और यदि हाँ, तो ऐसा करने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या आपरेटरो के दो निचले रैंक (नायक, हेड कांस्टेबल) हैं और दो रैंक (उप-निरीक्षक और निरीक्षक) सहायक उप-निरीक्षकों से ऊपर हैं और क्या ऊँचे और निचले दोनों रैंकों के व्यक्तियों को यह विशेष वेतन मिल रहा है लेकिन वे केवल रेडियो मैकेनिक सहायक उप-निरीक्षकों को ही यह विशेष वेतन नहीं दिया जा रहा है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इस असंगति को दूर करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेश्वर मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) सहायक उप निरीक्षकों (आपरटेरों) को दिया गया विशेष वेतन वाजिब नहीं पाया गया था। इसलिए सहायक उप-निरीक्षकों को भुगतान किये गये विशेष वेतन की वसूली की गई थी। सहायक उप-निरीक्षक (आपरटेर) का संशोधित पूर्व वेतनमान (125-155 ₹0 माहवार और विशेष वेतन 40 ₹0 माहवार) सहायक उप-निरीक्षक (रेडियो मैकेनिक) ग्रेड-11 के वेतनमान (150-320 ₹0) से कम था। 1-1-1973 से दोनों श्रेणियों के वेतनमान संशोधित करके समान वेतनमान (330-480 ₹0) किया गया। सहायक उपनिरीक्षक (आपरटेर) की तुलना में सहायक उपनिरीक्षक (रेडियो मैकेनिक) के हित में कुछ अन्तर रखना वांछनीय समझा गया था। इसलिए सहायक उपनिरीक्षक (रेडियो मैकेनिक) ग्रेड-11 को 1-1-1973 से विशेष वेतन दिया गया था।

(ग) नायक तथा हेडकांस्टेबल का पद सहायक उपनिरीक्षक के पद से दो श्रेणी नीचे है और उप निरीक्षक तथा निरीक्षक का पद सहायक उप-निरीक्षक के पद से दो श्रेणी ऊपर है। नायक (संचार) हेड कांस्टेबल (आपरटेर) उप-निरीक्षक (आपरटेर) तथा निरीक्षक (संचार) को विशेष वेतन मिलता है। सहायक उप-निरीक्षक (आपरटेर) को विशेष वेतन नहीं दिया जाता है जैसा कि उपर्युक्त (ख) में स्पष्ट किया गया है सहायक उप-निरीक्षक (आपरटेर) को विशेष वेतन देने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

#### Allegations against Chief Executive of N.I.D.C.

4396. SHRI K. A. RAJAN:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether work load of the National Industrial Development Corporation Ltd. is touching the bottom of the scale whereas other sister consultancy organisations like Engineers India Ltd., MECON etc. have begged prestigious contracts for consultancy assignments both in India and abroad;

(b) whether it is a fact that the Chief Executive of NIDC goes on foreign tours through the auspices of Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE) and National Associa-